निर्णय व इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 83/2019 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

भागीरथ पुत्र भौरी लाल जाति मीणा निवासी ग्राम श्यामपुरा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री रामकुंवार वर्मा आर ए एस पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर
2. राममोपाल पुत्र नानगराम
3. रामजीलाल पुत्र नानगराम
4. धापा पत्नी नानगराम

   समस्त जाति हरिराणा ब्राह्मण निवासी ग्राम श्यामपुरा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
5. श्योजी पुत्र भौरीलाल
6. जगदीश पुत्र भौरीलाल
7. प्रभू दयाल पुत्र भौरीलाल
8. नारायण पुत्र भौरीलाल
9. रामजीलाल पुत्र भौरीलाल

   समस्त मीणा निवासी ग्राम श्यामपुरा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर ।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बाबत अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 उपखण्ड अधिकारी बस्सी के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 124/2018 व उनवानी राममोपाल बनाम राजस्थान सरकार व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थित:-

1. श्री हरिनारायण अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री राजकुमार शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2, 3 व 4 की ओर से ।

जिला कलक्टर
जयपुर

निर्णय दिनांक 04.01.2021

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी के समक्ष प्रकरण संख्या 124/2018 व उनवानी राममोपाल व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य पत्थरगढी करवाने बाबत विचाराधीन है।जिसमें दिनांक 18.06.2019 को प्रार्थी जब तारीख पेशी पर विचरण न्यायालय में उपस्थित हुआ तो उक्त दिवस को तारीख पेशी 21.08.2019 को तब्दील की गई तब प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 के परिवार

के एक सदस्य जो होम गार्ड में सर्विस करता है से छोटी तारीख लेने का कारण पूछा तो उक्त व्यक्ति ने प्रार्थी को कहा कि हमारे प्रकरण का फैसला एक दो तारीख पेशी में हो जायेगा। मैने साहब को हमारी पक्ष में फैसला करने के लिए एक उच्चाधिकारी से शिफारिश करवा दी है तब प्रार्थी ने कहा कि उक्त भूमि के सम्बन्ध में जो राजस्व मण्डल में अपील विचारधीन है और अपील के विचाराधीन रहते गलत सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर पत्थरगढी नहीं होनी चाहिये तो उक्त व्यक्ति ने कहा कि तुम अपील लडते रहो, हमारा काम तो यही से हो जायेगा। उक्त व्यक्ति की बात सुन कर प्रार्थी को काफी हैरानी हुई तथा दिनांक 01.06.2019 को प्रार्थी के काफी विरोध करने पर भी पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण में 25.06.2019 तारीख पेशी नियत कर दी गई उसके पश्चात दिनांक 25.06.2019 को वकुलाय द्वारा कार्य बहिस्कार किये जाने के कारण उक्त दिवस के सभी प्रकरणों में तो 13.08.2019 तब्दील की गई जबकि प्रार्थी के प्रकरण में 27.06.2019 तारीख पेशी दी गई, तो प्रार्थी को उपरोक्त वर्णित व्यक्ति द्वारा कही गई बात सही प्रतीत हुई तथा उसने यह समस्त वाकया अपने अजमेर न्यायालय में मुकर्रर अधिक्ता को फोन पर बताया तो उहोंने उक्त प्रकरण को न्याय की उम्मीद नही होने के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अविलम्ब स्थानान्तरित कराने हेतु जिलाधीश न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल करने की सलाह दी । जिसके कारण प्रार्थी को यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र दाखिल करना आवश्यक हुआ। प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रारम्भ से ही विचारण न्यायालय को यह अवगत करा रखा है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सख्या 2 लगायत 4 के मध्य अपनी अपनी भूमि की कमी बेसी को लेकर विवाद चल रहे है । इसलिए विवादों के विचाराधीन रहते उक्त भूमि की पत्थरगढी तथा कथित सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर नही की जा सकती। अप्रार्थी संख्या 1 के समक्ष लम्बित प्रकरण में स्वयं प्रार्थी संख्या 4 गुल्या पुत्र भौरया की मृत्यु काफी अर्सा पूर्व ही हो चुकी है, परन्तु अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 ने इस तथ्यो को जानते हुए भी कि मरे हुए व्यक्ति के पक्ष में या विरूद्व कोई निर्णय नहीं किया जा सकता उक्त गुल्या पुत्र भौरया की मृत्यु की न तो कोई सूचना दी न ही उसके वारिसान को रिकार्ड पर जाने की ही कोई कार्यवाही पत्रावली पर की और पत्रावली पर पक्षकार के मृत होने के बावजूद भी तथ्यों को छिपाते हुऐ अप्रार्थी संख्या 1 को प्रभाव में लेकर उनसे गलत फैसला कराने पर आमदा है। उक्त परिस्थितियों के आधार पर प्रार्थी को वर्तमान पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने की कोई उम्मीद नही है। ऐसा कथन अंकित कर उक्त प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी बस्सी से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2, 3 व 4 की ओर से अधिवक्ता श्री राजकुमार शर्मा ने वकालतनामा पेश किया ।

3. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. उपखण्ड अधिकारी बस्सी के समक्ष विचाराधीन प्रकरण में छोटी तारीख दिये जाने का एवं प्रार्थी को नही सुनने का अरोप लगाते हुये उक्त उनवानी प्रकरण को अन्यत्र मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया। नजदीक तारीख पेशी दिये जाने मात्र से न्याय प्राप्ति में

जिला कलक्टर
जयपुर

शंका जाहिर करना प्रकरण को मुन्तकिल किये जाने का कोई ठोस आधार नहीं है। इसलिए प्रार्थी के कथन को बल नहीं मिलता है। उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुनने एवं सम्पूर्ण तथ्यों पर मनन करने से परिलक्षित होता है कि उपखण्ड अधिकारी बस्सी के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किया जावे। प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी बस्सी के पीठासीन अधिकारी पर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

5. उपखण्ड अधिकारी बस्सी पत्थरगढी प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष की सुनवाई करके गुणावगुण एवं मैरिट पर प्रकरण का निस्तारण करना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा उपखण्ड अधिकारी बस्सी को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर, दुरूस्त फैसल हो।

6. निर्णय आज दिनांक 04.01.2021 को सरे इजलास सुनाया गया ।

4/1/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलक्टर
जयपुर